सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 10.04.2021

अवैध अपमिश्रित/नकली शराब बनाकर फर्जी पैकिंग एवं बोटलिंग करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग का भण्डाफोड, 05 अभियुक्त गिरफ्तार, भारी मात्रा में रैपर, क्यू0 आर0 कोड तथा 120 लीटर शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अभियान चलाकर अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे। जिसके क्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए भारी मात्रा में अवैध अपमिश्रित/नकली शराब, रैपर व क्यू0आर0कोड0 बरामद किए है।

आज दिनांक 10.04.2021 को थाना मनकापुर, एस0ओ0जी0 व आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर बहद ग्राम महादेवा स्थित एक मकान में छापामारी कर अपमिश्रित/नकली शराब बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 05 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध अपमिश्रित शराब, भिन्न–भिन्न ब्रांड के रैपर व क्यू0आर0कोड0 व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल इत्यादि बरामद किया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त अश्वनी जायसवाल, गिरजेश सोनी व विजय जायसवाल के कब्जे से 01–01 अदद नायाजय चाकू भी बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणों ने बताया कि नकली शराब बनाने के लिये गोण्डा के संजय जायसवाल द्वारा हम सभी को क्यू आर कोड व शराब कम्पनियों के नकली रैपर कानपुर के कवलजीत सिंह वालिया जो हमारे साथ मौजूद है इनके द्वारा हम लोगों को उपलब्ध कराया जाता है उसी रैपर व वार कोड का प्रयोग कर नकली शराब यूरिया, नौसादर व अन्य नशीले पदार्थों को मिश्रित कर यह अपमिश्रित शराब पंचायत चुनाव के दौरान बिक्री करने लिए बनायी जा रही थी। उसी दौरान मौके पर पकड़े गये कवलजीत सिंह वालिया से कड़ी पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि मै यह नकली रैपर कम्पनियों के व क्यूआर कोड को मै दिल्ली व अन्य राज्यों से कोरियर के माध्यम से पैकिंग कराकर मंगाता हूं और भिन्न भिन्न जिलों में इसे अपने एजेन्टों को भेजता हूं। मेरा गोण्डा में एजेन्ट संजय जायसवाल है । जिसे मै पांच हजार क्यूआर कोड 1500 रुपये में भेजता हूं और मेरा एजेन्ट आगे इसे तीन हजार रुपये में दूसरा एजेन्ट विजय जायसवाल नकली शराब बनाने वालों को पांच हजार रुपये में बेचता है और बताया कि यह क्यूआर कोड और रैपर दिल्ली व एनसीआर के कई जिलों में काफी सप्लाई होता है । दिल्ली की सप्लाई करने वाले कम्पनी व एजेन्टों की तलाश की जा रही है । यह क्यूआर कोड व रैपर अन्य कम्पनियों की तरह असली दिखाने हेतु शीशियों पर चस्पाकर असली की तरह ब्रिकी किया करते है। अभियुक्तगणों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अश्वनी जायसवाल पुत्र शिव कुमार जायसवाल नि0 खपरिहवा कटहर बुटहनी हाल पता पील खाना कस्बा मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. गिरजेश सोनी पुत्र स्व0 इन्द्रमल नि0 महाराजगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. विजय जायसवाल पुत्र रामपलटन नि0 318 रानीबाजार थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
04. संजय जायसवाल पुत्र पलझन नि0 ददुआ बाजार मकार्थीगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

05. कवलजीत बालिया पुत्र स्व0 सरदार राजेन्द्र सिंह बालिया नि0 साकेतनगर थाना केदवईनगर जनपद कानपुर नगर।

<u>बरामदगी–</u>

01. 120 ली0 अवैध अपमिश्रित/नकली शराब।
02. 3200 रैपर भिन्न–भिन्न ब्रांड।
03. 242 खाली पौव्वा।
04. 89 भरी शीशी(पौव्वा)
05. 1386 ढक्कन।
06. 2342 क्यू0आर0कोड0।
07. 01 एल्कोहल मीटर, 01 जार।
08. 02 किलो0 यूरिया व 500 ग्राम नौसादर।
09. 03 अदद नाजायज चाकू।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0– 115/21, धारा– 272,273,419,420,467,468,471 भादवि, 60/60(2),72 आबकारी अधि0 थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–116/21, धारा– 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–117/21, धारा– 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0–118/21, धारा– 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. प्रभारी निरीक्षक के0के0 राणा थाना मनकापुर मय टीम।
02. उ0नि0 राजकुमार सिंह प्रभारी एस0ओ0जी0 मय टीम।

<u>विषाक्त मिष्ठान सामग्री बेचकर आम जनमानस के जीवन को खतरे में डालने वाला आरोपी गिरफ्तार</u>

दिनांक 09.04.2021 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में कुछ लोगों व बच्चों की विषाक्त लड्डू खाने के कारण फूड प्वाइजनिंग होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना को पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। कोतवाली नगर के मोहल्ला राजेंद्र नगर नौसहरा में सलीम इंद्रिशी उर्फ सानू की बहन के बच्चा होने की खुशी में घर तथा मोहल्ले में उस्मानी पुत्र वहीदुल्लाह निवासी कटहरिया थाना कोतवाली नगर की दुकान से 6 किलो मेवा लड्डू लेकर बांटे थे। उन लड्डुओं को खाने से 13 बच्चे, 02 औरत और 05 पुरुष फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो गए जिन्हें उल्टी दस्त शुरू हो गए थे। सभी लोगों को तत्काल जिला अस्पताल गोंडा में भर्ती कराया गया। अब सभी लोग स्वस्थ हैं। लड्डू को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के सहयोग से सलीम के घर से बरामद कर उसका सेंपल जांच व आवश्यक कार्यवाही हेतु लिया गया है। दुकानदार उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 10.04.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–35 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

13 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तो के गिरफ्तारी अभियान में जनपद गोण्डा के विभिन्न थानों द्वारा 13 वारण्टी अभियुक्तो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. बुद्धू पुत्र भाई लाल नि0 खटिकन पुरवा माथेपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–140/21, 02. भुनेश पुत्र भाई लाल नि0 खटिकन पुरवा माथेपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–141/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. ननके सोनकर पुत्र श्रीपत सोनकर नि0 बुढिया मौजा हडहवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–80/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही गयी।

दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे। जिसके क्रम में थाना छपिया ने दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

दिनांक 02.04.2021 को वादी जोखई पुत्र सोमई नि0 रेहरा थाना मारियागंज जनपद सिद्धार्थनगर की पुत्री को ससुरालजनो द्वारा दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए गला दबा कर हत्या कर दी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें छपिया पुलिस ने वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त सुनील कुमार यादव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सुनील कुमार यादव पुत्र स्व0 भगौती प्रसाद नि0 मल्लीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–124/21, धारा 498ए, 304बी, 302 भादवि व 3/4 डी0पी0एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता–

01. उ0नि0 मदन लाल गौतम मय टीम।

थाना कटराबाजार द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे। जिसके क्रम में थाना कटराबाजार ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

आज दिनांक 10.04.2021 को उ0नि0 राजकुमार मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त इस्माइल पुत्र शौकत अली नि0 सेल्हरी डीहा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को ग्राम करियापुरवा के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कटराबाजार में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. इस्माइल पुत्र शौकत अली नि0 सेलहरी डीहा कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–122/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता–

01. उ0नि0 राजकुमार मय टीम।

सरकारी कर्मचारियों की कूटरचित आईडी बनाकर जीपीएफ के नाम पर राजकीय धन गबन करने वाले गिरोह का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में वाछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे। जिसके क्रम में थाना नवाबगंज ने वांछित चल रहे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

अभियुक्त रामजग उर्फ घमंडी पुत्र गौरीशंकर कर्मचारियों की कूटरचित आईडी बनाकर जीपीएफ के नाम पर राजकीय धन गबन करने वाले गिरोह का सदस्य था जो वांछित चल रहा था। जिसको नवाबगंज पुलिस ने आज दिनांक 10.04.2021 को मुखबिर खास की सूचना पर कस्बा नवाबगंज से गिरफ्तार कर वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01.रामजग उर्फ घमंडी पुत्र गौरीशंकर नि0 फिदाईपुर कोलहमपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–86/21, धारा 419.420.467.468.471.409.411.120बी0 भादवि व 66, 66डी0 आई0टी0एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता–

प्रभारी निरीक्षक अपराध सुखबीर सिंह भदौरिया थाना नवाबगंज मय टीम।